न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-75/2016

लीलाधर पुत्र स्व0 मोतीराम जाति ब्राहम्ण निवासी चौमालों की कुटिया के पास वार्ड नं0 30 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- शिवप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी चौमालों की कुटिया के पास वार्ड नं0-30 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज0)

2- सावित्री देवी पत्नी स्व0 मोतीराम------ नाम हजफ---

3- चन्दादेवी पत्नी रामअवतार पुत्री स्व0 मोतीराम जाति ब्राहम्ण निवासी पचेरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

4- सन्तोषदेवी पत्नी नरेशकुमार पुत्री स्व0 मोतीराम जाति ब्राहम्ण निवासी महाराणा प्रताप चौक के पास शार्दूलपुर तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज0)

5- संजय पुत्र } स्व0 सुशीला देवी जाति ब्राहम्ण निवासी पचेरी तहसील
6- अजय पुत्र } बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

7- राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

--रेस्पोन्डेन्टस्---

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक
डिक्री दिनांक 20-7-2015 एवं
अन्तिम डिक्री दिनांक 12-12-15
द्वारा उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री प्रदीपकुमार शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री रामावतार ढाका एडवोकेट- रेस्पोन्डेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

निर्णय दिनांक- 25.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट सं0 -1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत हक व बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 177 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा पुख्ता जिसके नये खसरा नम्बर 458 रकबा 1.72 हैक्टर वाके कस्बा झुन्झुनू में अवस्थित है।उक्त आराजी पैत्रिक है जिसमें वादी का 1/2 हक हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 का है। उक्त आराजी का बंटवारा वादी का दादा करीब 45 वर्ष पूर्व देहान्त होने के बाद ही वादी एवं उसके ताऊ प्रतिवादी संख्या-1 ने बंटवारा कर लिया था । बंटवारे के अनुसार पुराना खसरा नं0 177 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 8 बिस्वा दक्षिण भाग वादी के हिस्से में तथा शेष 1/2 हिस्सा 3 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादी सं0-1 के हिस्से में आई ।जिसके नये ख0नं0 458 रकबा 1.72 हैक्टर में से 0.86 हैक्टर दक्षिण भाग का खातेदार काश्तकार वादी हुआ । जिसको विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवारा हेतु दावा पेश किया । जिसे अदालत मातहत ने स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर पेश की ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपना निर्णय पारित किया है। अदालत मासहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को ख0नं0 458 रकबा 1.72 हैक्टर में दक्षिण दिशा का 1/2 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा शेष जमाबन्दी बदस्तूर रखी ।अन्तिम डिक्री जारी करने से पूर्व अदालत मातहत ने दिनांक 20-7-2015 को अपीलान्ट/प्रतिवादी सं0-1/2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत दिये जाने समुचित सुनवाई का अवसर को बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये प्रथम दृष्टया ही खारिज कर दिया तथा उसी दिन प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र का ना तो रेस्पोडेन्ट ने कोई जबाब दिया और ना ही कोई मौखिक ऐतराज किया ।अदालत मातहत का अभिभाषक संघ ने बहिष्कार कर रखा था। किन्तु अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये इसी दिन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी । प्रतिवादीगण की अदालत मातहत में ना तो पोपर

तामिल हुई और ना ही अपीलान्ट /प्रतिवादीगण को सुनवाई का कोई अवसर दिया । अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 3-3-2015 को पेश किया गया ।जिसका जबाब रेस्पोडेन्ट संख्या-। ने दिनांक 7-4-2015 को पेश किया ।अदालत मातहत ने प्रतिवादी सं0-।/2-अपीलान्ट के ऐतराज के बाद दिनांक 20-7-15 को ही खारिज कर दिया तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 20-7-2015 को ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ।अदालत मातहत में आदेश-22 नियम-4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17-6-2010 को दिया गया जिसका आदेशिका में कहीं भी निर्णय किया जाना दर्ज नहीं है ।प्रतिवादी सं0-।/। से ।/6 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड किये जाने के आदेश अदालत मातहत की आदेशिका में नहीं है ।मौके पर विभाजन प्रस्ताव भी अपीलान्ट को बिना सूचना दिये ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मंगाये गयेह हैंयह विभाजन प्रस्ताव कार्यालय में बैठकर ही तैयार कर भिजवाये गये हैं ।अदालत मातहत ने केवल वादी के ही हिस्से का विभाजन किया है ।अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से निर्णय की जानेकार उक्त आराजी ख0नं0 458 के ।/2 हिस्से के उत्तर साईड में अपीलान्ट को धकेल कर उसे उसके हिस्से से बेदखल करने पर दिनांक 12-3-2016 को यह कार्यवाही करने पर दिनांक 22-3-16 को उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल लेने पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस एवं तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया । अदालत मातहत में पत्रावली बहस के लिये नियत ही नहीं थी ।प्रकरण में दिनांक 7-7-15 को आगामी पेशी 28-7-2015 नियत की गई है थी । जिसमें प्रार्थना पत्र आदेश -9 नियम-17 के सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निर्णय ही किया जाना था जिसमें अपीलान्ट ने उसके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जावे । किन्तु न्यायालय ने नियत तारीख पेशी दिनांक 28-7-15 के पूर्व ही पत्रावली का 20-7-15 को बिना अपीलान्ट को सूचना दिये तारीख पेशी में रख लिया जिसकी प्रार्थी अपीलान्ट को जानकारी होने पर प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जावे।किन्तु अदालत मातहत ने तारीख पेशी से पूर्व ही 20-7-2009 को मेरा प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-7 सीपीसी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा किसीभी प्रतिवादी को बिना सूचना दिये 20-7-2015 को ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इसके बाद विभाजन प्रस्ताव आने के लिये तारीख पेशी दी गई । जिसमें 18-8-15 को मोहर लगाकर पेशी दी जिसमें आगामी पेशी 20-10-2015 एवं दिनांक 20-10-2015 को आगामी पेशी 29-12-15 की पेशी दी गई ।किन्तु अदालत मातहत ने आगामी पेशी दिनांक 29-12-15 से पूर्व ही दिनांक 12-12-2015 को बिना प्रतिवादी को सूचना दिये ही दावे का अन्तिम रूप से निर्णय कर दिया जिसमें ना तो दावे में अपनाये जानी वाली किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाया है और ना ही नित्य तारीख पेशी पर पत्रावली में कोई कार्यवाही की है बल्कि अपनी मर्जी के अनुसार पत्रावली को नियत तारीख पेशी से पूर्व ही निर्णित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातह -हत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में दावा विवादित आराजी के 1/2 डिस्से के बंटवारा का था जिसमें विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा दक्षिण साईड का है। अदालत मातहत ने दोनो पक्षों को विधिवत सुनवाई करते हुये निर्णय किया है ।अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-7सी पीसी खारिज किया जाकर निर्णय किया है ।अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि अपीलान्ट को सुना नहीं गया अपीलान्ट के दिनांक 20-7-2015 की आदेशिका पर हस्ताक्षर है ।प्रतिवादी मोतीराम एवं तहसीलदार की ओर से जबाब दावा आ गया । दौराने सुनवाई मौतीराम का देहान्त होने पर कायम मुकाम की कार्यवाही की जाकर प्रकरण में नियमित रूप से सुनवाई की जाकर निर्णय किया गया है ।अपीलान्ट ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 20-7-2015 को सुनवाई कर खारिज किया गया है जिस दिन अपीलान्ट स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहा है ।प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज होने पर अपीलान्ट ने इस प्रार्थना पत्र की कोई अपील नहीं की है। ख0नं0 458 का 1/2 हिस्सा दक्षिण साईड का मौके के विभाजन आने पर रेस्पोडेन्ट को दिया गया है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी में अपना 1/2 हिस्सा उत्तर साईड का मानकर आया है ।इस प्रकार हिस्से का कोई विवाद भी नहीं है । अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री की पालना में राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अलग अलग दर्ज हो चुका है। अपीलान्ट ने प्राथमिक डिक्री की अपील नहीं की! इस कारण अन्तिम डिक्री की अपील धारा-97सी पीसी के तहत नहीं की जा सकती ।इस कारण अपीलान्ट की अन्तिम डिक्री की अपील को खारिज किया जावे ।अपीलान्ट ने प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम निर्णय की जानकारी दिनांक 12-3-16 को होने के बावजूद अन्तिम निर्णय एवं डिक्री की अपील दिनांक 1-4-16 को पेश करना व इसके बाद प्राथमिक डिक्री की अपील दिनांक 21-4-16 को प्रस्तुत किस कानून के तहत की है ।

नियत तारीख पेशी से पूर्व किया गया है ।अदालत मातहत ने दावे का निर्णय लोक अदालत में किया और लोक अदालत में प्रकरण यदि आगे की तारीख पेशी में नियत है तो उसे लोक अदालत में पहले लेकर निर्णय किया जा सकता है । लोक अदालत आम हर को सूचना देकर ही लगाई जाती है जो राज्य सरकार द्वारा नियत दिनांक को ही लगाई जाती है ।अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । दावा आदाबत मातहत में दिनांक 21-8-2008 को पेश किया गया ।दावे का जबाब प्रतिवादी सं0-1 ने दिनांक 17-3-2009 को दे दिया ।तहसीलदार ने 0V0000 जबाब दावा पेश नहीं किया जिसका जबाब दिनांक 30-3-2009 को बन्द कर दिया ।इसके बाद पत्रावली शहादत वादी में ही चलती रही इसके बाद दिनांक 3-3-15 को अपीलान्ट ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम-7 सीपीसी का पेश किया जिसे अदालत मातहत ने नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 20-7-15 को खारिज कर दिया जबकि अपीलान्ट ने दिनांक 20-7-2015 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में नियत पेशी पर ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र कि प्रकरण का निस्तारण तारीख पेशी पर ही किया जावे पर कोई गौर न कर नियत तारीख पेशी से पूर्व ही प्र00 प्रकरण में प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री के बीच में प्रकरण में तारीख पेशी मोहर लगाकर ही दी गई जिसमें विभाजन प्रस्ताव आने का भी कोई उल्लेख नहीं है ।प्रकरण में मैरिट पर निर्णय करने से पूर्व हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया गया अथवा नहीं इस बिन्दू पर ही निर्णय किया जाना उचित मानते हैं क्योंकि प्रकरण में आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में नियत तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली का को तलब कर निर्णय पारित किया गया । प्रतिवादी के विरुद्ध एक्स पार्टी आदेश हो जाता है और इसके बाद भी न्यायालय को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये की पक्षकार

में जो भी निर्णय किया जावे नियत तारीख पेशी पर ही किया जावे । अन्यथा तारीख पेशी से पूर्व निर्णय किये जाने वाले आदेश में प्रश्नचिन्ह ही लगेगा । दावा आदेशिका के अवलोकन से साक्ष्य वादी में नियत है। साक्ष्य वादी हुई अथवा बन्द की गई आदेशिका में कोई आदेश नहीं किया गया । अर्थात दावे में अपनाई जाने वाली किसी भी विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना नियत तारीख पेशी से पूर्व निर्णय किया है । जिसमें अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-7 सीपीसी का निर्णय नियत पेशी पर किये जाने का पेश किया जिस पर भी कोई आदेश न कर नियत तारीख पेशी से पूर्व आदेश दिया गया है । अतः हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण को पक्षकारों की सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना ही न्यायोचित मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20-7-2015 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-12-2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत का अवसर देते हुये विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 31-8-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय की एक प्रति अपील संख्या-88/2016 में संलग्न की जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.7.2018 को सुनाया गया ।

25/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
उ-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर